# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारी :— अमिता बिश्नोई** आर.ए.एस.

**प्रार्थना पत्र संख्या** :— 60/2015

1. जमीयतसिंह उर्फ जमीतसिंह पुत्र अमरसिंह (फोत)
1/1. सुखदेवकोर पत्नी जमीयतसिंह
1/2 राजासिंह पुत्र जमीयतसिंह
1/3. कर्मजीतकोर पुत्री जमीयतसिंह
1/4. जसप्रीतकोर पुत्री जमीयतसिंह
1/5. सर्वजीतकोर पत्नी सुखपालसिंह
1/6. सुखदेवसिंह पुत्र सुखपालसिंह
1/7. सुखप्रीतकोर पुत्री सुखपालसिंह

जाति जटसिख निवासीयान ग्राम अयालकी तहसील पीलीबंगा।

2. करतारसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. नसीबकोर पत्नी श्री जीतसिंह जाति जटसिख निवासी ग्राम अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. लाभसिंह
5. जसकरणसिंह

पि0 श्री जीतसिंह जाति जटसिख निवासीयान ग्राम अयालकी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

———प्रार्थीगण

**—:बनाम:—**

1. रेंवन्तराम
2. मनफुलराम
3. बनवारीलाल
4. रजीराम

पि0 बीरबलराम जाति सुथार निवासीयान ग्राम डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़

5. जगदीश
6. रामकुमार

पि0 श्री लालचन्द जाति सुथार निवासीयान ग्राम डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

7. कलावती पत्नी श्री लालचन्द जाति सुथार निवासी ग्राम डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ़ ।
8. तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा

——अप्रार्थीगण

## —:: प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::—

## —:: उपस्थित अभिभाषकगण ::—

1. श्री संजय कुमार चांडक —— प्रार्थीगण
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। —— अप्रार्थी सं. 8

## —:: निर्णय :—

दिनांकः— 06-09-24

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.09 17:12:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अधिवक्ता श्री [illegible] द्वारा निम्न प्रकार से है:—प्रार्थीगण ने जवाब दावा मय काउं[illegible] जो जेरकार है। प्रार्थीगण को श्रीमान् जी के न्यायालय से पुरा पुरा न्याय प्राप्त होने की आशा है। काउंटर क्लेम [illegible] सन्तुलन प्रथम दृष्टवा प्रार्थीगण के पक्ष मे है।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 के पिता श्री बीरबलराम पुत्र श्री खुमानाराम ने राजस्व तहसील पीलीबंगा के चक 17 जे आर के मे स्थित पत्थरं नम्बर 51/249 व 52/249 मे स्थित अपनी

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

तमाम भूमि अपने जीवन काल मे बीरबलराम पुत्र श्री खुमानाराम ने बेचान कर दी थी अपने इस कथन की पुष्टि मे दस्तावेज बैयनामा की फोटो प्रतियां वाद पत्र के साथ पेश की हुई है।

अप्रार्थीगण ने उक्त भूमि के बेचान की जानकारी व भूमि का कब्जा खरीददारान को दिया हुआ होने की जानकारी भली भांती है परन्तु इस तथ्य को छिपाकर अप्रार्थीगण रेवंतराम बगैहरा ने जो भूमि अपने नाम इंतकाल के जरिये अपने नाम दर्ज करवाई है वे अवैध इन्द्राज है क्यों कि बीरबलराम दिनांक 11.02.1972 तक अपनी तमाम भूमि चक 17 जे आर के के खातो से बेचान कर चुका था। शेष कोई भूमि नही रही थी।

दिनांक 11.02.1972 को बीरबलराम ने जो भूमि चक 17 जे आर के मे पत्थर नम्बर 52/249 मे किला नम्बर 16 ता 18, 22 की 4.00 बीघा भूमि मु० धनकौर पत्नि श्री अमरसिंह जाति जटसिख को बेचान करके कब्जा भौतिक रूप से सन् 1972 से दिया हुआ है तब से लेकर आज तक शान्ति पूर्वक कब्जा कास्त पहले धनकौर का व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारीसान जो प्रार्थीगण है के पास चला आ रहा है।

बीरबलराम ने दिनांक 11.02.1972 को श्रीमति धनकौर पत्नि श्री अमरसिंह को जो रकबा विधिवत् बेचान कर चुका था का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे नही होने के फलस्वरूप यह रकबा बीरबलराम के नाम दर्ज होता रहा और उसके पश्चात् प्रार्थीगण ने यह रकबा उक्त बेचान के तथ्यों को छिपाकर अपने नाम दर्ज करवा रखा है। जो स्पष्टत् अवैध इन्द्राज हुआ है इस इन्द्राज को कलमजन करने हेतु प्रार्थीगण ने अपना प्रतिदावा पेश कर दिया है जो जैरकार है।

वादाधीन रकबा सही तथ्यों को छिपाकर अप्रार्थीगण ने अपने नाम से दर्ज करवाया है इस अशुद्ध इन्द्राज का अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से लाभ प्राप्त करने के हकदार नही है परन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादाधीन रकबा अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने के कारण वह उसे किसी भी समय रहन बैय अथवा बेचान कर सकते है अप्रार्थीगण ने इस रकबा को रहन रखने की व बैचान करने की कोशिश भी की है परन्तु भोतिक कंब्जा कास्त प्रार्थीगण का होने के फलस्वरूप उन्हे सफलता नही मिली है। यदि अप्रार्थीगण अपने इस गलत इरादे मे सफल हो गये तो प्रार्थीगण के हितों पर ना पुरा होने वाला नुकसान हो जावेगा तथा प्रार्थीगण के साथ अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी। जिसे न्यायहित मे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है ताकि कोई भी पक्षकार प्रतिदावा के अंतिम निर्णय होने तक अनुचित ना उठा सकें इस प्रकार के आदेश से किसी भी पक्षकार को ना तो अनुचित नुकसान हो सकेगा और ना ही कोई पक्षकार अवैध इन्द्राजो का अनुचित लाभ उठा सकेगा।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के प्रतिदावा के अंतिम निर्णय होने तक वादाधीन भूमि को किसी भी प्रकार से रहन बैय व खुर्द बुर्द नही करने हेतु अप्रार्थीगण को प्रतिबन्धीत किया जावे। आपकी अति कृपा होगी।

पत्रावली प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया है अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल पारीक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया ... प्रश्नगत रकबा के संबंध में जैरकार वाद अधिवक्ता वादी द्वारा ... है। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रतिवादपत्र पर प्रस्तुत है। बहस सुनी गयी। अधिवक्ता ... द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत रकबा खरीदशुदा रकबा है। विक्रेता के नाम से ...स्तन इंतकाल भी दर्ज किया जा चुका है। कब्जा प्रार्थीगण के पास होने के कारण व्यादेश प्रतिदावा फैसला तक स्थाई किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.09 17:12:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रतिदावा पर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में अस्थाई व्यादेश जारी किये हुये 9 वर्ष से अधिक से समय हो चुका है। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए में उपलब्ध उपचार/अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन, हानि या अंतरित किये जाने की स्थिति प्रकरण में उजागर नहीं होती है और न ही मामला सुविधा व संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है इसलिए अस्थाई व्यादेश दिनांक को अनवरत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है लिहाजा उक्त अस्थाई व्यादेश दिनांक 28.07.2015 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.09.24 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.09 17:12:14 IST
Reason: SelfAttested